Block -2 GROWTH AND DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS

Unit-1 Understanding Adolescents: Differnet Perspectives

किशोरावस्था : विभिन्न परिप्रेक्ष्य में

संरचना

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 किशोरावस्था : विकास एवं वृद्धि की अवस्था

1.3.1 प्रारंभिक किशोरावस्था (9 से 13 वर्ष की आयु)

1.3.2 मध्य किशोरावस्था (14 से 15 वर्ष की आयु)

1.3.3 अंतिम किशोरावस्था (16 से 19 वर्ष की आयु)

1.4 विभिन्न संस्कृति में किशोरावस्था की अवधारणा, पहचान एवं विशेषता

1.4.1 शारीरिक विकास की विशिष्टता

1.4.2 मनोवैज्ञानिक एवं संवेगात्मक विकास

1.4.3 सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास

1.5 विश्व एवं भारत के संदर्भ में किशोर : आँकड़ों के द्वारा

1.5.1 स्वास्थ्य संबंधी आँकड़े

1.5.2 शैक्षिक रूपरेखा

1.5.3 व्यवहारगत आँकड़े

1.6 किशोरावस्था की समस्याऐं : सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दे

1.6.1 यौन व्यवहार संबंधी समस्याऐं

1.6.2 स्कूल में समायोजन संबंधी समस्या

1.6.3 परिवार एवं समाज के साथ एडजस्टमेंट संबंधी समस्या

1.6.4 नैतिक व्यवहार से संबंधी समस्या

1.6.5 वित्तीय समस्या

1.6.6 मादक पदार्थो के सेवन संबंधी समस्या

1.6.7 आत्महत्या

1.6.8 बालश्रम

1.7 रूढ़िवादिता एवं किशोरावस्था

1.7.1 परंपरागत रूढ़ियाँ क्या है ?

1.7.2 रूढ़ियों को समाप्त करने में किशोरवय बालक– बालिकाओं का योगदान

1.8 लिंग पहचान : विभिन्न संस्कृतियों की भूमिका के पहचान में बदलाव

1.8.1 पाश्चात्य संस्कृति एवं किशोरावस्था

1.8.2 भारतीय संस्कृति एवं किशोरावस्था

1.8.3 विभिन्न संस्कृति के विपरीत प्रभाव एवं दूर करने के उपाय

1.9 विद्यालय एवं अध्यापकों की भूमिका एवं कार्य : किशोरवय बालकों के मार्गदर्शन में

1.9.1 बौद्विक विकास एवं शिक्षा

1.9.2 नैतिक विकास एवं शिक्षा

1.9.3 किशोरावस्था में यौन शिक्षा

1.10 सारांश

1.11 अभ्यास के प्रश्न

1.12 उपयोगी पुस्तकें

1.1 प्रस्तावना –

जब हम बीज को अंकुरित होते देखते हैं तो सबसे पहले एक छोटा–सा अंकुर दिखाई देती है, थोड़े ही दिनों के बाद कुछ और जड़े निकलने लगती है, फिर फल विकसित होते है। जिस प्रकार एक पौधा धीरे–धीरे बड़ा होकर अपनी वृद्धि करता है, ठीक उसी प्रकार बालक का विकास होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्यतः तीन माह में बालक करवट लेता है, छः माह में बैठता है, एवं 9 माह में चलने लगता है यह बालक की सामान्य प्रक्रिया है। आयु बढने के साथ–साथ उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है यह क्रम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था एवं प्रौढ़ावस्था तक लगातार चलता रहता है। सभी अवस्थाओं की अपनी– अपनी विशेषताएँ होती है।

हम प्रायः अपने मित्रों व रिश्तेदारों से सुनते है कि फलां व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि ठीक प्रकार नहीं हो रही है, उसकी लंम्बाई या शारीरिक ह्रष्ट– पुष्टता उसकी आयु के औसत बच्चों से कम है, या कोई बालक अपनी आयु से भी अधिक आयु की बात समझ लेता है, या कुछ अपने साथी छात्रों से भी नहीं घुलमिल पाता है, ये सभी बातें वृद्धि एवं विकास से संबंधित है। वृद्धि एवं विकास माता के गर्भ से शुरू होकर जीवन पर्यन्त चलता रहता है, जन्म के बाद शैशवास्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तक लगातार चलता रहता है।

किशोरवय बालक या बालिकाओं की अवस्था 12 से 18 वर्ष के बीच होती है, विकास एवं वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं में किशोरावस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। किशोरावस्था जीवन का बसंत काल मानी जाती है इस अवस्था में बालक न तो बच्चा और न ही पौढ़ होता है, जीवन की इस अवस्था को तूफान, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था कहा जाता है।

किशोरवस्था मनुष्य के विकास की तीसरी अवस्था है यह बाल्यावस्था के बाद शुरू होकर प्रौढ़ावस्था शुरू होने तक चलती रहती है, परंन्तु जलवायु एवं व्यक्तिगत भेदों के कारण किशोरावस्था की अवधि में कुछ अंतर आता है। यह वह अवस्था है, जिसका छात्रों पर तात्कालीन प्रभाव व दीर्घकालीक प्रभाव दोनों ही देखने को मिलता है इस अवधि में शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव दोनों ही सबसे अधिक दिखाई देते है। इस दशा में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, सही मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन से किशोरों को सही दिशा में जाने का मौका मिलता है।

1.2 उद्देश्य :–

इस इकाई को पढकर आप–

- किशोरावस्था के विकास एवं वृद्धि के बारे में जान सकेगें।
- किशोरवय बालक– बालिकाओं की पहचान एवं विशेषताओं के बारे में जान सकेगें।

- विश्व एवं भारत में किशोरावस्था के विभिन्न आंकडो के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगें।
- किशोरावस्था की व्यवहारगत समस्याओं एवं बदलावों के समाधान के तरीकों को जान सकेगें।
- किशोरो की आवश्यकता एवं लैगिंक पहचान को समझ सकेगें।
- रूढिवादी मान्यताओं के संबंध में किशोरों की भूमिका के बारे में समझ सकेगें।
- किशोरवय बालकों की चिंता के सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दों के बारे में एवं इनके निराकरण के बारे में जान सकेगें।
- विभिन्न संस्कृतियों में पहचान के बदलाव की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगे।

1.3 किशोरावस्था : विकास एवं वृद्धि की अवस्था –

1.3.1 प्रारंभिक किशोरावस्था (9 वर्ष से 13 वर्ष की आयु)

9 वर्ष से 13 वर्ष की आयु प्रारंभिक किशोरावस्था की आयु हो, इसे पूर्व किशोरावस्था काल भी कहते है, इस अवधि में अचानक एवं अलग प्रकार से शारीरिक वृद्धि होने लगती है, इसी अवधि में यौन विकास भी तेजी से होता है। इस समय बालक– बालिकाऐं अपने सहपाठियों के साथ रहना अधिक पसंद करते है।

1.3.2 मध्य किशोरावस्था (14 वर्ष से 15 वर्ष की आयु)

मध्य किशोरावस्था को बौद्धिक क्षमताओं, शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास के लिए जाना जाता है। इस अवस्था के पहुँचने तक बालक आत्मनिर्भर हो जाता है अर्थात अपना काम स्वयं करने लगता है एवं जिम्मेदारी वहन कर सकता है, इस अवस्था में यौन अंगों का विकास जारी रहता है। इस उम्र में संवेगात्मक प्रभाव के साथ सांस्कृतिक बदलाव भी दिखाई देता है।

1.3.3 अंतिम किशोरावस्था (16 वर्ष से 19–20 वर्ष की आयु)

स्वयं की पहचान बनाना इस उम्र के युवाओं की विशेषताऐं है, युवा समाज में अपना स्थान बनाने की कोशिश करते है, इस समय तक इनके यौन–गौण लक्षण पूर्ण विकसित हो चुके होते है, इस समय आर्थिक रूप से किशोर अपने माता–पिता पर पूरी तरह निर्भर होते है।

1.4 किशोरावस्था की अवधारणा : पहचान एवं विशेषताएँ –

किशोरावस्था (Adoelescent) अर्थात् परिपक्वता की ओर जाना। संवेगात्मक ऊथल–पुथल एवं तनाव का समय! एडोलेसेंस (किशोरावस्था) शब्द लैटिन अदोलेसेंस से बना है, इसका तात्पर्य है– वृद्धि करना या वृद्धि करते हुए परिपक्वता प्राप्त करना या वयस्कता की ओर बढ़ना। बालक के जीवन का सबसे बड़ा जोखिम भरा समय किशोरावस्था है, आम भाषा में समझे ंतो किशोरावस्था का अर्थ यौवनारंभ, सीखने की अवस्था, नए आयामों एवं विकास, उत्सुकता एवं मनोविज्ञान की अवस्था है। इसे वयः संधि

अवस्था भी कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक द्वष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में अनेक परिवर्तन होते है।

1.4.1 पहचान –

किशोरवय बालक– बालिकाओं की पहचान उनकी शारीरिक वृद्धि से होती है, सोचने, समझने, बनने– सँवरने की भूमिका में बदलाव नजर आता है। अलग– अलग प्रकार के कपड़े पहनना, घंटों काँच के सामने बैठना, तर्कवितर्क करना, भविष्य के सपनों की उड़ान भरना, एवं सामाजिक कार्यो में रूचि लेना मुख्य है, किशोरावस्था में यौन परिवर्तन मुख्य पहचान के लक्ष्ण है। किशोरवय बालक की दाढ़ी– मूँछ आना, आवाज में भारीपन एवं बालिकाओं में मासिक धर्म की शुरूआत होती है। भारत चूँकि गरम देशों की श्रेणी में आता है अतः यहाँ बालकों एवं बालिकाओं में परिपक्वता की उम्र पाश्चात्य देशों की तुलना में जल्दी आ जाती है। अलग–अलग देशों में किशोरावस्था की उम्र जलवायु एवं वातावरण पर निर्भर करती है।

किशोरों की पहचान में निम्न गुण शामिल है–

1. उदासीनता
2. बाद–विवाद करना
3. गुस्सा/चिड़चिड़ापन
4. उत्सुकता
5. नवीन प्रयोग करना
6. उलझन में रहना/निर्णय न ले पाना

प्लूटो ने किशोरों को विवादप्रिय एवं उत्तेजित होने वाले वर्ग के रूप में बताया, **वाप्सन** के अनुसार किशोर उसके आसपास के बाहरी एवं अंदरूनी परिवेश से प्रभावित होता है।

अरस्तु ने आवेगी, स्वयं को बढ़ा–चढ़ाकर बताने वाले और एक ऐसे वर्ग के रूप में बताया, जो आत्मसंयमी नहीं होते।

1.4.2 किशोरवय बालकों की मुख्य विशेषताएँ –

शारीरिक विकास की विशेषता – हार्मोन संबंधी परिवर्तनों के कारण किशोरवय बालक–बालिकाओं में शारीरिक वृद्धि तेजी से होती है, सामान्यतया बालिका 16 से 17 वर्ष तक अपनी ऊँचाई प्राप्त कर लेती है, जबकि तुलनात्मक रूप से सामान्य बालकों में एक से दो सालों का अधिक समय लगता है। शरीर के आधार पर ही भार में भी परिवर्तन होने लगता है। किशोरावस्था की शुरूआत में **एंडोक्राइन सिस्टम** थोड़े समय के लिए असंतुलित हो जाता है, इन सब के अतिरिक्त पाचन एवं श्वसन तंत्र भी परिपक्व होकर 17–18 वर्ष तक शारीरिक ढ़ांचा वृद्धि करना बंद कर देता है।

1.4.3 मनोवैज्ञानिक एवं संवेगात्मक विकास –

किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन के साथ–साथ मस्तिष्क का भी विकास तेजी से होता है। किशोरों की प्रकृति वयस्क की तरह स्वतंत्र नजर आने जैसी हो जाती है। किशोर अधिक भावुक, सहज एवं विविध प्रवृत्तियों की ओर जाते नजर आते है, मानसिक रूप से अधिक संवेदनशील हो जाते है। स्वयं को प्रौढ़ जगत से अलग करने के साथ– साथ स्वतंत्र रूप से जीना चाहते है। किशोर बालक–बालिकाऐं माता–पिता के बजाय हम उम्र दोस्तों के साथ उठना–बैठना पसंद करते है। सबसे बड़ी विशेषताऐं जो सामान्य तौर पर देखी गई है, कि किशोर कल्पना लोक में डूबे रहते है और जिससे भी प्रभावित होते है, उसे अपना आदर्श मान लेते है। नाटकों, फिल्मी नायकों की भूमिका करने वालो से सबसे अधिक प्रभावित होते है।

1.4.4 सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास –

सामाजिक–सास्कृतिक विकास में किशोरों में व्यवहारगत निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैः–

सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश से किशोरों की अंतक्रिया कुछ नई उपलधियों को जन्म देती है। इससे उनके सामाजिक संबंध नए दिखाई देते है। समाज के द्वारा किशोरवय बच्चों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए है, अतः किशोर न ही व्यस्क व न ही बच्चों की श्रेणी में आते है। समाज के द्वारा उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, यही कारण युवाओं का समाज से विद्रोह करने का है। इसी वजह से किशोरावस्था को तनाव व उत्तेजना की अवस्था कहा है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास में –

- सामाजिक चेतना
- पारिवारिक संबंधों में बदलाव
- वयस्क जैसा व्यवहार, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आदि प्रमुख है।

(अपनी प्रगति की जाँच करें)

प्रश्न– किशोरावस्था 13 साल से 19–20 साल तक की मानी गई है, इस अवस्था की बहुत सी विशेषताऐं है। (Charasterstics) ऐसी 4 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए ?

_____

_____

_____

_____

1.5 विश्व एवं भारत के संदर्भ में किशोर : आँकडो के द्वारा

2001 की जनकगणना के अनुसार किशोरों का प्रतिशत भारत की कुल आबादी का 22% है, एवं लगातार यह प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है। किशोर बालिकाऐं बालको की तुलना में अधिक संख्या में है, किशोर बालकों का प्रतिशत 53% है, एवं किशोरियों का कुल भाग 47% है, जबकि भारतीय संस्कृति में विवाह की आयु लडकियों की 18 वर्ष एवं लड़को की 21 वर्ष है।

किशोरावस्था में मृत्यु दर पर विचार करे, तो सोचने वाली बात यह है कि किशोर लडकियों की मृत्यु दर लिंग असमानता के कारण काफी अधिक है, समाज में व्याप्त लडकियों के गर्भ धारण एवं छोटी उम्र में बच्चें को जन्म देना शामिल है।

1.5.1 स्वास्थ्य संबंधी आँकड़े –

अकेले भारत में ही 10 से 19 वर्ष आयु की 70: से अधिक बालिकाऐं खून की कमी–एनीमिया से ग्रस्त है। किशोर लडकियों के गर्भ धारण करने से मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक हो जाती है, एवं कम भार वाले शिशुओं का जन्म (डी.एल.एच.एस.आर.सी.एच.–2004) भी अधिक होने लगता है।

1.5.2 शैक्षिक रूपरेखा –

भारतीय गाँवों में 15 वर्ष से 19 वर्ष तक के आयुसमूह की किशोरियों का निरक्षर रहना आम बात है आँकड़ों के अनुसार 5% किशोरियाँ ग्रामीण क्षेत्र की एवं 10% शहरी क्षेत्र की किशोरियाँ निरक्षर पाई गई है। 2002 में प्राथमिक स्तर पर 90% एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 60% से अधिक सकल नामांकन अनुपात (जी0 ई0 आर0) की प्राप्ती कर ली गई थी। ड्रापआउट या विद्यालय छोडकर जाने वाले बालकों की संख्या में गिरावट आई है मगर लैंगिक भेदभाव आज भी देखने को मिलता है। ग्रामीण किशोरियाँ आज भी सर्वाधिक सुविधावंचित है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार किशोर–किशोरियों को काम पर ले जाने की बाध्यता से पीड़ित है, इसका असर उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों पर पडता है यहाँ बड़ी संख्या में किशोर एवं किशोरियाँ विद्यालय छोड़ देते है।

1.5.3 व्यवहारगत आँकड़े –

विश्व में एवं विशेषतौर पर भारत में नशीले पदार्थो का सेवन किशोर वर्ग की गंभीर समस्या है। आँकड़ों के अनुसार 12 वर्ष से 14 वर्ष आयु समूह के बालकों का 24% मादक व्यसन करता है। किशोरवय बालकों में इस समय सभ्रान्त परिवार के किशोरों में अपराध, चोरी, नशीले पदार्थो का सेवन, घर से भाग जाना तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 5 वर्षो में 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की लडकियों से बलात्कार का प्रतिशत भी बहुत अधिक हो गया है। यौवन आरंभ एवं विवाह योग्य उम्र के बीच का अंतर बढ़ना, अश्लील फिल्में देखना, किशोरों में विवाह

से पहले यौन संबंध रखना, लिव–इन–रिलेशनशिप, एडस्, एवं विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों को जन्म दे रहे है।

1.6 किशोरावस्था की समस्याऐं : सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दे –

किशोरावस्था की विशेष समस्याऐं है, जिन पर प्रकाश डालना आवश्यक है, वैसे तो किशोरो में शारीरिक विचलन (Physical Deviation) एवं शारीरिक दोष (Physical defects) जैसे दाँत, द्वष्टि एवं सुनने की आम समस्या है, परन्तु इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक द्वष्टिकोण से कई समस्याऐं है, और इन सब का सीधा प्रभाव बच्चों के उपलदिध स्तर पर पड़ता है। निम्न समस्याऐं आमतौर पर किशोरो में देखने को मिलती है –

1.6.1 यौन व्यवहार संबंधी समस्या –

किशोरावस्था में यौन संबंधी कई समस्याऐं होती है, शारीरिक परिपक्वता के कारण उनके यौन अंगों का विकास तो पूरा हो जाता है, परन्तु उनमें मनोवैज्ञानिक परिपक्वता की कमी के कारण कई प्रकार की यौन समस्याऐं उत्पन्न हो जाती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण के कारण काम भावना, पराकाष्टा की सीमा पार कर जाती है, बलात्कार की शिकार किशोरियाँ शादी से पहले गर्भवती होने से किशोर बालक उनका उत्तरदायित्व खुलकर अपने कंधो पर लेने से कतराते है। समस्या इतनी गंभीर हो जाती है, कि किशोरियों के पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता है, वे किसी तरह इस समस्या का समाधान कर भी लेती है तो समाज की नजर में इतना गिर जाती है, कि उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास असंभव हो जाता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए किशोरों को यौन शिक्षा देना अनिवार्यतः होना चाहिए।

1.6.2 स्कूल में समायोजन संबंधी समस्याऐं–

किशोरवय बालक–बालिकाओं को अपने सहपाठी एवं अध्यापकों के साथ एडजस्टमेंट का सामना करना पड़ता है। कुछ शिक्षकों के रूढ़िवादी होने के कारण एवं सख्त रवैये से किशोरों को दंडित होना पड़ता है। वे स्वतंत्र रूप से कुछ करने में अपने आपको असमर्थ पाते है। प्रायः स्कूल का सिलेवस टेक्नीकल होने से बालक–बालिकाऐं उसमें Participate नहीं कर पाते है और ऊबाउपन आने लगता है, एवं पाठ्यक्रम को न समझ पाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

1.6.3 परिवार एवं समाज के साथ ऐडजस्टमेंट संबंधीं –

किशोर एवं किशोरियों की गंभीर समस्या परिवार से शुरू होती है। प्रायः देखा जाता है कि किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में स्वतंत्र रूप से भाग लेने की अनुमति नहीं मिल पाने से तनाव बढ़ जाता है और परिवार में संघर्ष की शुरूआत हो जाती है अतंतः किशोर घर छोडने

को मजबूर हो जाते है, और व्यवसायिक कार्यो में मानसिकता से उचित दिशा–निर्देश न मिलने से समस्या जटिल हो जाती है।

1.6.4 नैतिक व्यवहार से संबंधित समस्या –

कुछ किशोर–किशोरियों को सही व गलत की जानकारी न होने से वे अवास्तविक उच्च मानक निर्धारित कर लेते है, एवं उनके पूरा न होने की स्थिति में लडने झगडने लगते है और पूरा न होने की स्थिति में अनैतिक व्यवहार करने लगते है, और सामाजिक समायोजन भी नहीं कर पाते है।

1.6.5 वित्तीय समस्या –

किशोर–किशोरियों को वित्तीय समस्या का भी सामना करना पडता है। किशोरावस्था में बाल अपने भविष्य की भी प्लानिंग कर लेता है। अधिक से अधिक पैसा खर्च कर अपने साथी को भी खुश रखने के कारण कई बार वित्तीय समस्या का भी सामना करना पडता है अधिक गंभीर समस्या में आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति को अपनाने से भी नहीं चूकते और कुंठा से ग्रसित हो जाते है।

1.6.6 मादक पदार्थो का सेवन –

प्रायः किशोरवय बालक–बालिकाओं में मादक पदार्थो का सेवन आज एक बढ़ी समस्या एवं अभिशाप बन चुका है, भोलेपन एवं नासमझी के कारण गांजा, चरस, कोकीन, एवं अन्य नशीलें पदार्थो का सेवन प्रारंम्भ कर देते है, एक बार लत लगने के बाद इससे उबरने में काफी समय लग जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से साबित हो चुका है, कि मादक पदार्थो के सेवन से इनमें सामाजिक, आर्थिक, नैतिक एवं शैक्षिक पतन होता चला जाता है।

मैरीहुआना तथा **हैल्थ** (Marinuana & health 1989) एवं दलम (Blum 1988) द्वारा स्कूल में किशोरों पर जो मादक पदार्थो के व्यसनी थे, किए गए अध्ययन से इसकी पुष्टि होती है।

1.6.7 आत्महत्या –

वर्तमान समय में किशोर–किशोरियों का आत्महत्या करना एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। किशोरावस्था में उठे आवेगों के कारण प्रिय वस्तु का न पाना, अभिभावकों द्वारा डाँट देना, परिवार में वित्तीय समस्या हो या सामाजिक अलगाव, स्कूल में झगड़ा अथवा परीक्षा में अनुतीर्ण होना आत्महत्या का कारण बन जाता है। आए दिन समाचार पत्रों में किशोर–किशोरियों की आत्महत्या संबंधी खबर पडने को मिलती है बिना सोचे– समझे उठाए इस कदम से पूरा का पूरा परिवार सदमें में चला जाता है। (स्मिथ 1975) के अध्ययन के अनुसार किशोरों की मृत्यु का दूसरा मुख्य कारण आत्महत्या है।

रॉन तथा **साल्स** (Ron & Salls 1977) तथा Wenz 1990 के अध्ययनों के अनुसार अधिकतर किशोर या किशोरी जो आत्महत्या कर लेते है या करने का प्रयास करते है, किसी समस्या से ग्रसित होते है। ऐसे किशोरों की पहचान कर उनके लिए अलग से मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

1.6.8 बालश्रम –

औद्योगीकरण की शोचनीय छवि को दर्शाते 13 से 19 वर्ष की आयु के किशोर मजदूरी करते पाये जाते है, इसके सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम काफी गहरे है। बचपन में काम पर लगना सामाजिक बुराई तो है ही शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर भी बुरा असर पडता है, बच्चे शिक्षा से वंचित होने के साथ–साथ इसका प्रभाव नागरिकता से जुडी जिम्मेदारी एवं कर्तव्यों पर पड़ता है बाल–श्रम के कारण ही जनसंख्या विस्फोट, पारिवारिक आमदनी का गिरता स्तर, निरक्षरता आदि प्रभावित होते है।

Activity –

आप एक शिक्षक विद्यार्थी है, अपनी कोलोनी में रहने वाले किशोरवय बालकों की समस्याओं के बारे में लिखिए एवं किसी एक समस्या के समाधान का विवरण लिखिए ?

1.7 रूढ़िवादिता एवं किशोरावस्था–

1.7.1 परंपरागत रूढ़ियाँ –

जब हम परंपरागत रूढ़ियों पर विचार करते है तो सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि रूढ़ियाँ क्या है ? और इन्हें आरंभ किसने किया ? हानिप्रद होते हुए भी इन्हें समाप्त क्यों नहीं किया जाता है ?

प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों द्वारा शुरू की गई परंपराऐं एवं रीतिरिवाजों ने ही आगे चलकर रूढ़ियों का रूप ले लिया। भले ही इनका संबंध धर्म से रहा हो या विज्ञान से। पुत्र जन्म पर ढ़ोलक मंजीरे बजाते है, वहीं कन्या के जन्म पर मातम! समझा जाता है, कि पुत्र वंश को चलाता है पुत्री नहीं, जबकि पुत्री दो कुलों का उद्धार करने वाली होती है।

रूढ़िवाद ने ही सतीप्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियों को जन्म दिया है इसी प्रकार घर में मृत्यु होने पर बैक्टीरिया आदि के इन्फेक्शन से बचने के लिए सभी स्नान करते है एवं घर की सफाई की जाती है इन सभी के पीछे स्वच्छता का कारण था आगे चलकर इसे छुआछूत से जोडकर रूढ़ि बन गई, कि किसी स्त्री के पति की मृत्यु होने पर उसे घर के एक कोने में बैठा दिया जाता था, जबकि इन बातों के पीछे यह कारण रहा होगा कि पति की मृत्यु के बाद वह इस मनः स्थिति में नहीं रहती कि गृहस्थी का कार्य जिम्मेदारी से करे या किसी से बातचीत करें, उस परंम्परा एवं भावना का मूल कारण न समझते हुए समाज में मान्यता बन गई कि विधवा स्त्री का तेरह दिनों तक मुंह नहीं देखना चाहिए एवं उसे शुभ कार्यो से वंचित रखा जाता था।

आज भी समाज में व्याप्त मृत्युभोज रूढ़िवाद को बढ़ावा देते है, प्रायः देखा गया है कि कर्ज मे डूबे व्यक्ति को मृत्युभोज करना अनिवार्य हो जाता है, जबकि मृत्युभोज का मृतव्यक्ति से कोई संबंध नहीं होता है।

1.7.2 रूढ़ियों को समाप्त करने में युवाओं का योगदान –

समाज में व्याप्त रूढ़ियों को जो सदियों से चली आ रही है, किशोरवय बालक–बालिकाओं द्वारा समाप्त किया जा सकता है। किशोरवय बालक अपना समय एवं ऊर्जा **आंदोलन** एवं **प्रदर्शन** करने में लगाने के बजाय इन रूढ़ियों को समाप्त करने या सामाजिक कार्यो में लगाए। खुशी इस बात की है कि आजके किशोर बालक बालिकाओं में जागृति आई है वे समाज में व्याप्त इन कुरीतियों एवं परंपरागत रूढ़ियों को विभिन्न माध्यमों जैसे नुक्कड़ नाटक, गीतों एवं संदेशों के माध्यम से समाप्त करने में अहम भूमिका निभा रहे है।

1.8 लिंग पहचान : विभिन्न संस्कृतियों में बदलाव की भूमिका में –

किशोरावस्था का समय संसार के सभी देशों में एक जैसा नहीं माना गया है श्री **हैरीमैन** ने लिखा है– योरोपीय देशों में किशोरावस्था का समय लडकियों में लगभग 13 वर्ष से 21 वर्ष तक एवं लडको में 15 वर्ष से 21 वर्ष तक माना जाता है जबकि भारत में लडकियों की 11 वर्ष से 17 वर्ष एवं लडको की 13 वर्ष से 19 वर्ष तक मानी जाती है।

1.8.1 पाश्चात्य संस्कृति एवं किशोरावस्था –

चूँकि किशोरावस्था की आयु अलग–अलग देशों में अलग मानी गई है, किशोरावस्था का निर्धारण वहाँ की जलवायु एवं वातावरण पर निर्भर करता है। जीवन स्तर, स्वास्थ्य एवं जलवायु, सांस्कृतिक परंपराएँ, परिवेश तथा काम संबंधों के प्रति हमारा दृष्टिकोण इस अवधि का निर्धारण करता है। **विश्व स्वास्थ्य संगठन** ने किशोरावस्था को गौण लिंग विशेषताओं (यौवनारंभ) के प्रकट होने से लेकर प्रजनन परिपक्वता की प्राप्ति होने, वयस्क मानसिक प्रक्रियाओं का विकास हो जाने एवं संपूर्ण सामाजिक आर्थिक निर्भरता से उसकी सापेक्षिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाने के रूप में इसे परिभाषित किया है (WHO 1997)

पाश्चात्य संस्कृति में खुलेपन के कारण 12 से 15 वर्ष की उम्र का बालक या बालिका के माँ बनने से उन्हें इन बात का ज्ञान ही नहीं होता कि नवजात का पालन किस प्रकार किया जाता है। चूँकि 12 से 15 वर्ष तक की बालिकाओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास एवं वृद्धि माँ बनने के लायक नहीं होती है समयपूर्ण माँ बनने से अनेक प्रकार के ग्रसित होने के साथ–साथ कम भार वाले बालक का जन्म होता है व माँ के स्वास्थ्य से संबंधीं समस्याऐं प्रारंभ हो जाती है।

1.8.2 भारतीय संस्कृति एवं किशोरावस्था –

पाश्चात्य संस्कृति के विपरीत भारतीय संस्कृति में 18 वर्ष के बाद लडकियों के विवाह निर्धारण एवं 21 वर्ष लडकों की उम्र निर्धारित है विवाह पूर्व संबंध स्थापित करना अपराध की श्रेणी में माना जाता है भारतीय संस्कृति अपने आप में विश्व की अनूंठी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के ही कारण भारत को विश्व गुरू की उपमा दी गई है। भारत में माँ बालक की प्रथम पाठशाला होती है, जन्म से लेकर 4–5 वर्ष तक माँ के सानिध्य में ही संस्कारों की शिक्षा प्राप्त करना है तद्पश्चात स्कूलों में नैतिक शिक्षा, धर्म एवं संस्कारों से बालक को अवगत कराया जाता है, कहने का तात्पर्य यह है कि किशोरावस्था तक माता–पिता एवं शिक्षक बालक को विभिन्न प्रकार के संस्कार एवं भारतीय परंपराऐं सिखातें है। किशोरावस्था में बालिका का माँ बनना अपराध माना जाता है, एवं यह बलात्कार की श्रेणी में माना है, एवं अपराधी किशोर बालक भी सजा पाता है।

1.8.3 विपरीत प्रभाव एवं दूर करने के उपाय –

पाश्चात्य या यूरोपीयन संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति की तुलना करने पर हम पाते है कि किशोरावस्था में अनेक मनोविज्ञानों ने शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक, विकास एवं वृद्धि पर बल दिया है यह समय कोमल शाखाओं के उचित मार्गदर्शन एवं परामर्श की आवश्यकता का होता है किशोर बालक नई टहनी की तरह होते है, उसे जिस दिशा में चाहे मोड सकते है, किशोरावस्था में उठे आवेगों का उपयोग सही दिशा में करने पर बालअपराध, चोरी एवं बलात्कार की घटनाओं से मुक्ति मिल सकती है, एवं किशोर एक जिम्मेदार एवं स्वस्थ्य नागरिक बन पाने में समर्थ होगा।

पाश्चात्य देशों में यही कारण है, बालअपराध या हत्या के मामले 30 प्रतिशत मामले किशोरो द्वारा किए जाते है उचित शिक्षा व्यवस्था, यौनशिक्षा एवं घर परिवार का वातावरण इन अपराधों को रोकने में सहायक होगें।

ग्रामीण क्षेत्रों में कन्याभ्रूण हत्या एवं बालविवाह आज भी होते है, आँकडो के अनुसार पिछले कुछ सालो में इनमें काफी कमी आई है। आवश्यकता जागरूकता एवं सोच बदलने की है, विद्यालयों में भी असमानता के विरूद्ध जागरूकता लाने की है, सामाजिक संस्थाओं द्वारा उचित मार्गदर्शन देकर अपराधों में कमी कर सकते है, परिवार, शिक्षक एवं पीयर ग्रुप इस ओर विशेष ध्यान देकर स्वस्थ्य माहौल निर्मित कर बदलावों के प्रति स्वस्थ्य रवैया विकसिन कर सकते है।

Activity –

वर्तमान समय में युवा वर्ग में नशीले पदार्थो का सेवन चिंता का एक बडा मुद्दा है, शिक्षक विद्यार्थी होने के नाते आपके शहर में नशीले पदार्थो की रोकथाम करने के लिए कितनी गैर सरकारी संगठन इस दिशा में कार्य कर रहे है– सूचि बनाईयें एवं इन संगठनों द्वारा पिछले वर्षो में कितने बालक– बालिकाओं को नशे की लत छुडवाई गई है लिखिए।

1.9 विद्यालय एवं अध्यापको की भूमिका एवं कार्य : किशोरवय बालको के मार्गदर्शन में –

आमतौर पर किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष तक के बीच के समय को माना गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीवन स्तर, स्वास्थ्य एवं जलवायु, सांस्कृतिक परंपराऐं एवं परिवेश तथा काम संबंधों के प्रति हमारा द्वष्टिकोण यौवनारंभ से लेकर प्रजनन परिपक्वना प्राप्ति, वयस्क पहचान बन जाने एवं सामाजिक आर्थिक निर्भरता को परिभाषित किया है।

परिवर्तनों ने अचानक होने एवं तीव्र विकास के कारण किशोरों में अक्सर उत्सुकता, परेशानी एवं बैचनाी उत्पन्न हो जाती है और इसका सीधा संबंध यौन संबंधी विकास से है, जिसे हमेशा गुप्त व किसी से भी बाँटने की मनाही रही है, अतः परिवार व स्कूल में सही जानकारी न मिलने से यौन रोग के शिकार हो जाते है।

आवश्यकता उन्हें उचित ज्ञान देने की है जो प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य के संदर्भ में किशोरों की वृद्धि प्रक्रिया को समझाने में सहायता करने की है और इस संक्रमण काल के दौरान उनके सामने आने वाली समस्याओं में उचित मार्गदर्शन का होना आवश्यक है, साथ ही साथ स्वतंत्रता की आवश्यकता भी है, ताकि वे अपनी जिम्मेदारी से स्वयं लक्ष्य की खोज कर सही निर्णय ले सके।

1.9.1 बौद्धिक विकास एवं शिक्षा –

किशोरावस्था ऐसा समय है, जब ज्ञान को अर्जित कर उसका उपयोग सही दिशा में करना चरम सीमा पर होता है, इस अवस्था में उनमें उत्सुकता रहती है, कि दूसरे उनके बारे में क्या महसूस करते है, शारीरिक परिवर्तन के साथ–साथ बौद्धिक परिवर्तन भी होते है, इस समय अध्यापक की भूमिका अधिक हो जाती है अध्यापक का कार्य है– विद्यार्थियों को अलग–अलग प्रकार से चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में शामिल करें, अध्यापक सिर्फ व्याख्यान या भाषण न देकर एवं पाठ्य पुस्तकों पर जोर न देकर किशोरवय बालक–बालिकाओं से बैठकर, चर्चा करके, विभिन्न मुद्दों पर बातचीन कर उनकी जिज्ञासा एवं प्रश्नों को हल करें। कहा गया है कि **''खाली दिमाग शैतान का घर है''** किशोर बालकों के फुरसत के समय को उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बनाने के लिए हॉबी कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों की जा सकती है। इसी के साथ–साथ रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक शिक्षा भी प्रदान की जा सकती है इससे बेरोजगार युवकों की समस्या में भी कमी आएगी।

1.9.2 नैतिक विकास एवं शिक्षा –

भारत की शैक्षिक व्यवस्था में नैतिक शिक्षा एवं धार्मिक शिक्षा को सही तरीके से शामिल न करने के कारण युवाओं में अनुशासनहीनता, छलकपट, एवं सांप्रदायिकता की भावना घर कर जाती है। स्कूलों में अध्यापकों को चाहिए कि प्रातःकालीन सभा का आयोजन कर पर्व एवं उत्सव धूमधाम से मनाएँ। गंदी वस्ती, झुग्गी झोपडी में साप्रदायिकता एवं धर्म की भ्रांतियों के बारे में

समझाऐं वहाँ के बेरोजगार युवकों को कल्याणकारी योजनाओं एवं भलाई के कार्यो में लगाऐं उन्हें मार्गदर्शन दे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित करने का, जिससे समाज में व्याप्त हिंसा, बलात्कार एवं चोरी को रोकने में सहयोग मिल सकें।

1.9.3 सामाजिक विकास एवं शिक्षा –

किशोरों में सामाजिक वृद्धि अधिक हो, इसलिए उन्हें पर्याप्त अवसर स्कूलों में प्रदान किए जाना चाहिए। किशोरावस्था घनिष्ठमित्रता एवं परमशत्रुता निभाने का भी समय होता है, अपने सहपाठियों के बीच उचित दर्जा मिले ऐसा किशोर चाहना है, यदि उसे उचित स्थान नहीं मिलता, तो वह हताशा के घेरे में आ जाता है। स्कूलों एवं अध्यापकों को चाहिए कि वे उन्हे दयालु बनने का, हमदर्दी जताने सहिष्णुता, आत्मविश्वास एवं मृदुभाषी बने रहने का पाठ पढ़ाऐं एवं इन सभी को विकसित करने की शिक्षा प्रदान करें। सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शिविरो, फिल्मों का प्रदर्शन, नाटकों का मंचन कर सामाजिक विकास को बढ़ावा दे। इन्ही गतिविधियों से किशोरो में चरित्रवान एवं व्यक्तित्व को सही मार्गदर्शन मिलेगा।

1.9.4 उचित यौन शिक्षा किशोरावस्था में –

किशोरावस्था में यौन जिज्ञासा चरम अवस्था पर होती है किशोर–किशोरी के प्रति स्वभावतः आकर्षित होते है, एवं अपना जीवन–साथी पाने की इच्छा होती है शरीर क्रियात्मक परिवर्तन, हार्मोनों के स्त्राव के कारण किशोर वर्ग में पर्याप्त जानकारी न होने से परेशानी में आ जाते है शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे नए शारीरिक परिवर्तनों का सही तालमेल अन्य विषयों के साथ–साथ हो, सामाजिक बुराईयों से बचने के लिए यौन शिक्षा को सही रूप में प्रस्तुत करना अध्यापकों एवं अभिभावकों का कर्तव्य होना चाहिए।

किशोर वर्ग हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग है, इसे हम अलग नही कर सकते है, किशोरों को यौन संबंधी बाते बहुत सारे स्त्रोतों से मिल जाती है, हो सकता है गलत स्त्रोत गलत जानकारियाँ देने से परिणाम अनर्थकारी होता है सही शिक्षा देने से स्त्री एवं पुरूष में समानता के आधार पर सहयोग एवं सम्मान एवं निर्भरता में वृद्धि होगी, ऐसी शिक्षा नियमित पाठ्यचर्चा का अंग होनी चाहिए जिसमें गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों में यौन शिक्षा की विषय–वस्तुओं को शामिल किया जाय, इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगे, एवं किशोरापराध रोकने में सहायता मिलेगी।

1.10 सारांश –

इस इकाई में आपने विभिन्न संस्कृतियों में किशोरावस्था उनकी पहचान एवं शारीरिक विकास रूढ़िवादिता एवं किशोरावस्था, के बारे में अध्ययन किया।

बाल्यावस्था से यौवनावस्था की ओर बढ़ने के दौरान शारीरिक, मानसिक, नैतिक परिवर्तन तेजी से होते है। समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को जो सदियों से चली आ रही है, किशोरवय बालक–बालिकाऐं सामाजिक जागृति के माध्यम से समाप्त कर सकते है।

आपने इस इकाई में अध्ययन किया कि किशोरावस्था का समय संसार के सभी देशों के एक जैसा नहीं माना गया है, यूरोपीय देशों में किशोरावस्था का समय लडकियों में लगभग 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष और लडकों में 15 से 21 वर्ष माना गया है, जबकि भारत में लडकियों की आयु 11 से 17 वर्ष एवं लडकों की आयु 13 से 19 वर्ष तक मानी गई है।

किशोरावस्था का निर्धारण जलवायु, जीवनस्तर सांस्कृतिक परंपराएँ एवं परिवेश के आधार पर ही होता है। यूरोपीय देशों में खुलेपन के कारण 12 से 15 वर्ष की उम्र में ही लडकियों के माँ बनने से उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पडता है लबकि भारतीय संस्कृति में विवाहपूर्व संबंध अपराध की श्रेणी में आता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास एवं वृद्धि पर बल दिया है। इस इकाई के माध्यम से लिंग पहचान एवं विभिन्न संस्कृतियों की भूमिका के पहचान में बदलाव, एवं वर्तमान में कन्या भ्रुण हत्या, लिंगभेद एवं सामाजिक असमान्ता आये बदलाव का अध्यन किया आज आवश्यकता रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने की है, ताकि किशोरवय बालक–बालिकाऐं जटिल समस्याओं का सामना परिपक्व दृष्टि अपनाकर कर सके।

अपनी प्रगति की जाँच करें –

- रूढ़िवादिता एवं किशोरावस्था पर आपके क्या विचार है? लिखिए।
- भारतीय संस्कृति एवं पाश्चात्य संस्कृति में किशोरावस्था के बारे में बताईए ?
- किशोरावस्था से संबंद्ध चिंता के सामान्य मुद्दे क्या–क्या है? लिखिए, चार कारणों द्वारा स्पष्टीकरण दें।
- किशोरावस्था की क्या–क्या आवश्यकताएँ है? लिखिए।
- आप एक अध्यापक है, आपकी कक्षा का एक किशोर विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान नही दे रहा है, एवं नियमित रुप से कक्षा में उपस्थित नही हो रहा आप समस्या का समाधान कैसे करेंगें ?

_____

_____

_____

_____

_____

Activity -

- किशोर–किशोरी के बीच स्वस्थ्य समायोजन के लिए अध्यापक किस रूप में सहायता कर सकते है? तरीके बताईए?
- कक्षा नवीं में पढ़ रहे पाँच विद्यार्थियों का समूह बनाकर उनमें सामाजिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास से संबंधित समस्याओं पर बातचीत कर इसकी एक रिपोर्ट तैयार करें।
- लड़के व लड़कियों में आज भी असामनता है क्यों ?
- वर्तमान में किशोरो में होने वाली आत्महत्या एवं अवसाद की प्रवृत्ति के कारण एवं रोकने के उपायों को लिखिए ?

उपयोगी पुस्तकें :–

मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाऐं – डॉ. डी.एन. श्रीवास्तव

शिक्षा मनोविज्ञान एवं मापन – राजकुमारी शर्मा, डॉ वंदना सक्सेना एवं डॉ. ए. बरोलिया

शिक्षा मनोविज्ञान – किशोरावस्था का मनोविज्ञान – अरुणकुमार सिंह

शिक्षा मनोविज्ञान – डॉ. पी.डी. पाठक